कार्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल (म.प्र.)

E-Mail :- deanshahdol@gmail.com , Website :- www.gmcshahdol.org
Contact No. :- 9422821338, 7974326371, 9759468300, 9981293674 Office No. :- 07652-243000

कमांक 2172/स्था./चि.म.वि./शहडोल/2019 शहडोल, दिनांक 17/07/2019

// विज्ञप्ति सूचना //

1. मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–2–06/2018/1–55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के अधीन निम्नलिखित चिकित्सकीय संवर्ग कि रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु आवेदन पत्र **कार्यालय अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी रोड, चॉपा, शहडोल (म0प्र0) पिन–484001 में दिनांक 31.07.2019 सायं 05:00 बजे** तक आमंत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल (म.प्र.) की वेबसाइट WWW.GMCSHAHDOL.ORG पर एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट WWW.MEDICALEDUCATION.MP.GOV.IN पर उपलब्ध है।
2. आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, कुदरी चॉपा, शहडोल (म0प्र0), पिन–484001 में जमा कराये जा सकते हैं।
3. आवेदन पत्र के साथ अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार राशि रू. 500/– तथा आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार राशि रू. 250/– का डिमांड ड्राफ्ट, जो कि **CEO & Dean Government Medical College Shahdol (M.P.)** के नाम **Payable at Shahdol** देय हो, आवेदन पत्र के साथ आवश्यक रूप से भेजें। जिन आवेदन पत्रों में डी.डी. संलग्न नहीं होगा उन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. आवेदन त्रुटिपूर्ण पाए जाने अथवा आवेदन निरस्त होने की स्थिति में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जावेगा।
5. आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में चिकित्सकीय संवर्ग हेतु आवेदन एवं आवेदित पद का नाम ....और आरक्षित/अनारक्षित .... श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

17/7/2019

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय,
शहडोल (म.प्र.)

E-Mail :- deanshahdol@gmail.com ,
Website :- www.gmcshahdol.org

Contact No. :- 9422821338, 7974326371, 9759468300, 9981293674
Office No. :- 07652-243000

क्रमांक............/स्था./चि.म.वि./शहडोल/2019 शहडोल, दिनांक ..../..../2019

//विज्ञप्ति //

मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ–2–06/2018/1–55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अंतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के अधीन निम्नलिखित चिकित्सकीय संवर्ग कि रिक्त पदों की पूर्ति की जानी है। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र दिनांक 31.07.2019 सायं 05:00 बजे तक आमंत्रित किए जाते हैं।

स. क्र.	पद का नाम	कुल पदों की संख्या	UR	ST	OBC	SC
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	महिला चिकित्सा अधिकारी	2	1	1	0	0
2	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	20	7+3F	3+1F	3	2+1PH

- उपरोक्त चयनित पदों में SC = अनुसूचित जाति, ST = अनुसूचित जनजाति, OBC = अन्य पिछड़ा वर्ग, F से चिन्हित पद महिला उम्मीदबार हेतु आरक्षित है। PH से चिन्हित पद दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित है।
- विज्ञप्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी, शर्तें, आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल म.प्र. की वेबसाइट WWW.GMCSHAHDOL.ORG पर एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट WWW.MEDICALEDUCATION.MP.GOV.IN पर उपलब्ध है।

1.– पद नाम, पदों की संख्या, वेतनमान, न्यूनतम आयु, शैक्षणिक योग्यता, सेवानिवृत्ति की अधिवार्षिकी आयु संबंधी विवरण :–

स.क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	वेतन बैंड + ग्रेड पे	न्यूनतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	सेवा निवृत्ति की अधिवार्षिकी की आयु
1	महिला चिकित्सा अधिकारी	2	15600-39100+5400	25 वर्ष	एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	65 वर्ष
2	आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी	20	15600-39100+5400	25 वर्ष	एम.बी.बी.एस./एम.सी.आई. द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालय/संस्थान से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण	65 वर्ष

❖ **चिकित्सक का म.प्र. मेडिकल कॉउन्सिल से स्थाई पंजीयन अनिवार्य है।**

17/7/2019

आर्हताएं एवं शर्तें

1. कॉलम 6 में उल्लेखित अर्हताओं में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् या मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्, द्वारा परिवर्तन किए जाने पर तदानुसार परिवर्तित अर्हताएं स्वयं ही लागू होंगी।
2. कार्यकारिणी समिति समय–समय पर संकल्प पारित कर पद विशेष के लिए अतिरिक्त अथवा अन्य अथवा दोनों अर्हताएं निर्धारित कर सकेगी।
3. पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।
4. आवेदक की अधिकतम आयु म.प्र. शासन के नियमानुसार होगी। आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के आवेदकों को आयु सीमा में छूट म.प्र. शासन के नियमों के अनुसार होगी।
5. म.प्र. के मूल निवासी को चयन में प्राथमिकता होगी।
6. आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना की जावेगी।
7. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय–समय पर जारी आदशों के अनुसार होगा।
8. जाति प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।
9. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में सेवारत व्यक्ति जो सीधी भर्ती के पद के लिए अर्हताधारी हों सीधी भर्ती के पद विरूद्व आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसे आवेदन के लिए उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेना होगा। साथ ही अन्य सभी शासकीय सेवकों को जो सीधी भर्ती के पद के लिए अर्हताधारी हों उसे नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

निरर्हतायें :–

- विकृत्त चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा–किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास/अनशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- विवाह संबंधी : जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरूष वर्ग के लिए 21 वर्ष एंव महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा, उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरूष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरूष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरूष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी– किसी भी ऐसे उम्मीदवार को नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्व ठहराया गया हो।
- ऐसा उम्मीदवार जिसके विरूद्व नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्व हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी – चिकित्सा महाविद्यालय के चिकित्सक जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।

17/7/2015

10. उपरोक्त सूची में उल्लेखित पद पर चयनित अभ्यार्थी की नियुक्ति प्रथमतः एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा कर दी जावेगी।
11. उक्त नियुक्तियां म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के आधीन होगी।
12. आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :— **अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कुदरी रोड, चॉपा शहडोल** (म0प्र0) **पिन :— 484001** हेतु आवेदन पत्र **दिनांक 31.07.2019 सायं 05:00** बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर स्पष्ट रूप से अधिष्ठाता शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल में चिकित्सकीय संवर्ग हेतु आवेदन एवं विषय .... तथा आवेदित पद का नाम .... और आरक्षित/अनारक्षित .... श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से करें। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। पोस्टल डिले के लिए अभ्यार्थी स्वयं जवाबदार होंगे।
13. चयन प्रकिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
14. उपरोक्त विज्ञापन की जानकारी एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल मध्यप्रदेश की वेबसाइट WWW.GMCSHAHDOL.ORG एवं संचालक चिकित्सा शिक्षा की वेबसाइट WWW.MEDICALEDUCATION.MP.GOV.IN पर उपलब्ध है।

महत्वपूर्ण टीप :— यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तो को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्ते पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाए जाने पर अथवा चयन होने के उपरांत उसका आवेदन पत्र/नियुक्ति निरस्त कर उसके उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। आवेदक के विरूद्व पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त भी उसमें समाहित रहेगीं।

17/7/2019

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)